

सरयू राय

मंत्री

संसदीय कार्य-सह  
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं  
उपभोक्ता मामले विभाग  
झारखण्ड सरकार



कार्यालय :-

झारखण्ड मंत्रालय

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

आवास : एफ.टाईप, पी.डब्ल्यू.डी. (IB)

डोरण्डा, राँची

मो. : 9431114486


पत्रांक... 686/मंत्री की

दिनांक. 02.11.2016

माननीय मुख्यमंत्री,

गैर सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के आधार पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 के लिए 2 (दो) पद निर्धारित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति रेगुलेशन 1997) की कंडिका 4 (iii) के प्रावधान के अनुसार इसके लिए भारत सरकार को रिक्तियों से अधिकतम पाँच गुणा तक गैर सिविल सेवा के वैसे लोगों के नाम राज्य सरकार द्वारा भेजा जा सकता है जो इसके लिए योग्य है।

तदनुसार 2 (दो) रिक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार गैर सिविल सेवा के अधिकतम दस लोगों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए भेज सकती है। मुझे सूचना मिली है कि राज्य सरकार 2015 की 2 (दो) रिक्तियों के लिए केवल 5 (पाँच) नाम भारत सरकार को भेजने जा रही है। नियमों के अनुसार जब एक रिक्ति पर 5 (पाँच) व्यक्तियों का नाम भेजा जा सकता है तो वर्ष 2015 में 2 (दो) रिक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कम से कम 10 (दस) सुयोग्य गैर सिविल सेवा पदाधिकारियों का नाम भेजा जाना चाहिए जिसमें से नियुक्ति भारत सरकार द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया से की जानी है। राज्य सरकार को इसके लिए अधिकतम सीमा तक यानि 10 (दस) नाम गैर सिविल सेवा अधिकारियों को इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए।

  
सरयू राय 3.11.16

सेवा में,  
श्री रघुवर दास,  
माननीय मुख्यमंत्री,  
झारखण्ड सरकार, राँची।